सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1बी) के अन्तर्गत निर्धारित बिन्दुवार सूचना

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना शासनादेश संख्या - 3459/26-3-89-9(51)/89 दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर पदेश, कानपुर के प्रमाण पत्र संख्या 20-13091/91 दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया। उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक जो विभागाध्यक्ष है, उनके अधीन वित्त नियंत्रक, कम्पनी सचिव, परियोजना प्रबन्धक एवं सहायक स्टाफ कार्यरत है। निगम का संगठनात्मक ढ़ाचा निम्नवत है:-

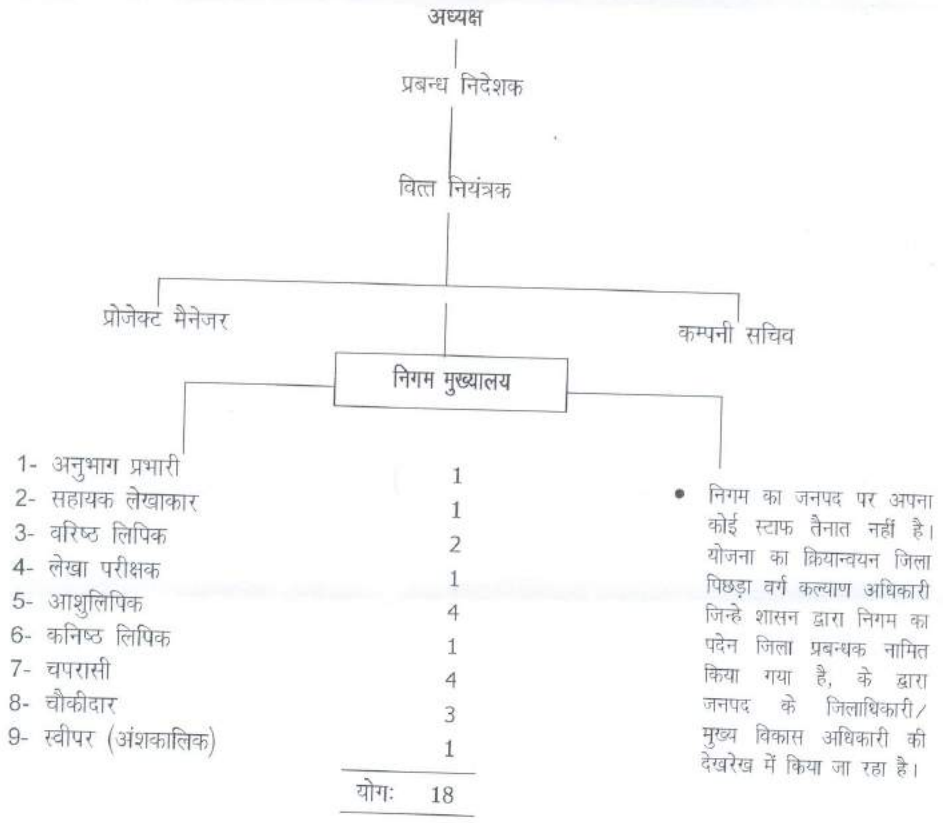

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के कार्यो तथा कर्तव्यों का विवरण निम्नवत है:-

प्रदेश में पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 3459/26-3-89-9(51)/89 दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा 10 करोड़ रूपये की अधिकृत अंशपूंजी से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0

की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में रू0 22.65 करोड़ की गारण्टी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के पक्ष में स्वीकृत की गई।

उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर पदेश, कानपुर के प्रमाण पत्र संख्या 20-13091/91 दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया।

उद्देश्य :

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिसूचित पिछड़ी जातियों के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर मार्जिन मनी/टर्म लोन उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

संचालित ऋण योजनाऐं :

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की चैनलाइजिंग एजेन्सी (कार्यकारी शाखा) के रूप में कार्यरत है। निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम से आसान ब्याजदर पर ऋण प्राप्त कर निम्नलिखित योजनाऐं संचालित की जा रही है:-

1- मार्जिन मनी ऋण योजना
2- टर्म लोन योजना
3- शैक्षिक ऋण योजना
4- स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं हेतु)
5- सूक्ष्म क्रेडिट वित्तपोषण (माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग)

यह ऋण कृषि, दस्तकारी, पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य सामान्य व्यवसायों हेतु प्रदान किया जाता है। चिन्हित योजनाओं की सूची निम्नवत है :-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	अधिकतम परियोजना लागत(रू0 में)
(क)	**मार्जिन मनी**	
1.	आटोरिक्शा	50,000.00
2.	रेडीमेड गारमेन्ट	50,000.00
3.	पत्तल उद्योग	30,000.00
4.	हल्के परिवहन	1,25,000.00
5.	बढ़ईगीरी कार्यशाला	60,000.00
6.	आटा चक्की	30,000.00
7.	स्कूटर/मोटर पार्ट्स	40,000.00
8.	बेकरी उद्योग	50,000.00
9.	डेरी परियोजना	40,000.00
10.	ताला उद्योग	60,000.00
11.	सामान्य अभियन्त्रिकी	70,000.00
12.	सन्दूक निर्माण	50,000.00
13.	लोहा उद्योग	80,000.00
14.	गेट/ग्रिल उद्योग	50,000.00
15.	बैटरी चार्जिंग	40,000.00

(ख) <u>टर्मलोन ऋण योजना</u>

1.	खाद की दुकान	80,000.00
2.	बैलगाड़ी	20,000.00
3.	मिनी राइस मिल	2,50,000.00
4.	गुड़ कोल्हू	90,000.00
5.	फल/सब्जी की दुकान	30,000.00
6.	बीज/कीटनाशक दवा की दुकान	40,000.00
7.	कृषि यन्त्र की दुकान	30,000.00
8.	आलू प्रसंस्करण परियोजना	2,00,000.00
9.	बारबर शाप टाइप (ए)	50,000.00
10.	बारबर शाप टाइप (सी)	20,000.00
11.	घड़ी मरम्मत की दुकान	40,000.00
12.	इलेक्ट्रानिक सेल/मरम्मत	70,000.00
13.	ट्रैक्टर मरम्मत की दुकान	20,000.00
14.	रेस्टोरेन्ट	1,00,000.00
15.	रेडियो/टी0वी0 मरम्मत	20,000.00
16.	स्कूटर/मोटर साइकिल मरम्मत	40,000.00
17.	टायर मरम्मत	15,000.00
18.	पी0सी0ओ0/आई0एस0डी0	70,000.00
19.	फ्रिज/ए0सी0 मरम्मत	80,000.00
20.	ढाबा/मेस	30,000.00
21.	टेन्ट हाउस	90,000.00
22.	साइकिल/रिक्शा मरम्मत	20,000.00
23.	टेलरिंग शाप	30,000.00
24.	पान की दुकान	20,000.00
25.	बकरी पालन	30,000.00
26.	आटा चक्की	40,000.00
27.	मिल्क प्रोसेसिंग	60,000.00
28.	फोटो कापीयर	1,10,000.00
29.	जनरल स्टोर	30,000.00
30.	कालीन बुनाई	24,000.00
31.	कपड़े की दुकान	30,000.00
32.	रेडीमेड गारमेण्ट्स	40,000.00
33.	डेरी उद्योग	40,000.00
34.	बान/मूंज	40,000.00
35.	दाल मिल	50,000.00
36.	चूड़ी की दुकान	40,000.00

Information

37.	स्टेशनरी की दुकान	40,000.00
38.	मेडिकल स्टोर	60,000.00
39.	स्टील अलमारी/लोहे की दुकान	70,000.00
40.	कपड़ा फेरी	20,000.00
41.	सन्दूक निर्माण	50,000.00
42.	बुक बाइंडिग	40,000.00
43.	लेथवर्क/लोहारगिरी	40,000.00
44.	गेट/ग्रिल उद्योग	50,000.00
45.	मिठाई की दुकान	40,000.00
46.	मशाला उद्योग	50,000.00
47.	मीट शाप	30,000.00
48.	सोनारी की दुकान	80,000.00
49.	हार्डवेयर/पेन्ट शाप	40,000.00
50.	किताब की दुकान	40,000.00
51.	मोटर बोट परियोजना	95,000.00
52.	जीप/टैक्सी परियोजना	3,45,000.00

शैक्षिक ऋण योजना :

निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, जो गरीबी रेखा अथवा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें है, को व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किए जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को सम्पूर्ण कोर्स हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। विदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्र को पूरे पाठ्यक्रम में अधिकतम रू0 20.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

पात्रता :

आवेदक/विद्यार्थी द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) और भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।

ऋण का पुनर्भुगतान कोर्स पूर्ण होने के 6 माह बाद अथवा सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा सेवा प्राप्त करने या स्व-रोजगार प्रारम्भ करने, जो पहले हो, से प्रारम्भ होगा। कुल पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

स्वर्णिमा योजना :

पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष योजना 'स्वर्णिमा' योजना प्रस्तावित की गयी है। स्वर्णिमा योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(i) महिला लाभार्थी को अपना अंश विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
(ii) इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण रू0 1.00 लाख प्रति लाभार्थी है।
(iii) ऋण अदायगी की अवधि सामान्य ऋण योजना से 2 वर्ष अधिक रखी गयी है।
(iv) रू0 1.00 लाख तक के ऋण पर लाभार्थी द्वारा 5% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा जबकि सामान्य ऋण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है।

सूक्ष्म क्रेडिट वित्तपोषण (माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग) :

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सहयोग से सूक्ष्म क्रेडिट विश्लेषण (माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग) के अन्तर्गत ऋण की योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऐं निम्नवत है :-

1 -	ऋण की सीमा	प्रति लाभार्थी रू0 50,000/-	
2 -	ऋण की अदायगी की सीमा	अधिकतम 48 माह	
3 -	वित्तीय प्रद्धति		
	प्रति परियोजना लागत का	राष्ट्रीय निगम अंश	90%
		निगम अंश	5%
		लाभार्थी अंश	5%
4 -	ब्याज दर		5% वार्षिक।

प्रशिक्षण योजना :

पिछड़े वर्गों के सदस्यों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता की प्रोन्नति हेतु निगम द्वारा परियोजना सम्बद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारम्परिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र के उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर योग्य एवं आत्मनिर्भर बनाना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षु निगम की सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है।

ऋण हेतु पात्रता :

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होगें:-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो,

(2) जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर वरीयता के आधार पर पहले विचार किया जिसने राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु पूर्ण कर ली हो अर्थात राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु के आधार पर अर्ह न हो, परन्तु अधिकतम 40 वर्ष से अधिक न हों,

(3) जो बेरोजगार हो और जीवन यापन का कोई साधन उसके पास न हो।

(4) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति का सदस्य हो।

(5) कम से कम स्नातक स्तर की शैक्षिक आर्हता (सामान्य/तकनीकी) वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

(6) संबंधित व्यवसाय/उद्योग में तकनीकी जरनकारी/अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(7) <u>गरीबी रेखा</u> से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात जिसकी/परिवार की वर्तमान में समस्त श्रोतों से वार्षिक आय निम्न प्रकार हो :

1- शहरी क्षेत्र में रूपये 20,000.00 वार्षिक आय।

2- ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 27,500.00 वार्षिक आय।

<u>दोहरी गरीबी रेखा</u>

1- शहरी क्षेत्र में रूपये 55,000.00 वार्षिक आय।

2- ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 40,000.00 वार्षिक आय।

वित्तीय पद्धति :

(क) टर्म लोन योजना :

1- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	85	प्रतिशत।
2- उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	10	प्रतिशत।
3- लाभार्थी अंश	05	प्रतिशत।

(ख) मार्जिन मनी ऋण योजना :

1- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	40	प्रतिशत।
2- उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	05	प्रतिशत।
3- बैंक ऋण	50	प्रतिशत।
4- लाभार्थी अंश	05	प्रतिशत।

(ग) शैक्षिक ऋण योजना :

1- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	90	प्रतिशत।
2- उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	5	प्रतिशत।
3- लाभार्थी अंश	5	प्रतिशत।

(घ) सूक्ष्म क्रेडिट वित्तपोषण (माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग) :

1- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	90	प्रतिशत।
2- राज्य निगम अंश	5	प्रतिशत।
3- लाभार्थी अंश	5	प्रतिशत।

(ड) न्यू स्वर्णिमा योजना :

1- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	95	प्रतिशत।
2- उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश	5	प्रतिशत।
3- लाभार्थी अंश	0	प्रतिशत।

आवेदन पत्र :

ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

जाति एवं आय प्रमाण पत्र :

जाति एवं आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हों, द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। यही अधिकारी सक्षम अधिकारी घोषित है।

जिला चयन समिति :

निगम की योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पहचान एवं चयन की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में किया जाता है। वर्ष 1997-98 में शासनादेश द्वारा उक्त चयन समिति का पुर्नगठन किया गया है। पुर्नगठित जिला चयन समिति निम्न प्रकार है:-

1 - जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2 - मण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	उपाध्यक्ष
3 - निगम मुख्यालय द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
4 - लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5 - जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6 - अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)	सदस्य
7 - जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

ऋण की अदायगी :

ऋण की अदायगी 60 बराबर किश्तों में की जानी। नियमित ऋण की अदायगी करने पर ब्याज में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा नियमित भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।

ऋण का उपयोग :

लाभार्थी द्वारा ऋण का उपयोग यदि उस कार्य हेतु नहीं किया जाता है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया है तो ऋण की धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा तथा बकाया धनराशि एक मुश्त वसूल की जायेगी।

बकाया ऋण की वसूली :

ऋण गृहीता द्वारा ऋण का भुगतान न करने की दशा में बकाया ऋण की वसूली उ0प्र0 लोकधन (देयों) की वसूली अधिनियम 1972 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिए जाने का प्राविधान है।

अनुदान :

निगम द्वारा संचालित मार्जिन मनी/टर्म लोन, न्यू स्वर्णिमा, सूक्ष्म क्रेडिट विश्लेषण व शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत परियोजना ऋण पर कोई अनुदान नहीं है।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन हेतु जनपद स्तर पर निगम का अपना कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है। उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-1 के शासनादेश सं0 943/64-1-96-54/96 दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निगम का पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है। इन्ही अधिकारियों द्वारा निगम की योजनाओं का संचालन अपने स्टाफ के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के मण्डलों के पर्यवेक्षण हेतु विभाग में उप निदेशक तैनात है, जिन्हे उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-1 के शासनादेश सं0 35/64-1-05-54/96 दिनांक 10 जनवरी, 2005 द्वारा निगम का पदेन मण्डलीय प्रबन्धक नामित किया गया है, के द्वारा निगम द्वारा संचालित योजनाओं पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पादित किए जा रहे है।

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के कार्यकलापों, स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों आदि में शासन स्तर पर जारी दिशा निर्देशों, शासनादेशों तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं निगम के निदेशक मण्डल के निर्णयों के आलोक में निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसी के अन्तर्गत योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदेही भी की जाती है। योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय उप निदेशक जिन्हे शासन द्वारा निगम का मण्डलीय प्रबन्धक नामित कियागया है के द्वारा एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निगम को पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है की जवाब देही होती है।

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापदण्ड

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के अन्तर्गत संचालित क्रियाकलापों एवं अन्य कार्यो को, कार्मिकों द्वारा अपने कार्य संचालन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, शासनादेशों में अपनायी जाती है।

(vi) अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा निगम के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकिल्स आफ एसोशियशन, उ0प्र0 शासन तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

(vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को शासन से वेतन अथवा भत्तों हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। निगम द्वारा अपना प्रतिवर्ष आन्तरिक बजट तैयार कर उसे निगम के निदेशक मण्डल से स्वीकृत कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निगम के बजट में विज्ञापन मद में प्राप्त आय के अनुसार बजट की व्यवस्था की जाती है।

(vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकिल्स आफ एसोशियशन, में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। निगम के महत्वपूर्ण विषयों/कार्यकलापों को निदेशक मण्डल से अनुमित प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

(viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने वाले पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को चयनित किए जाने हेतु उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 242/64-2-98-1(215)/97 दिनांक 28 फरवरी, 1998 द्वारा निम्न प्रकार लाभार्थी चयन हेतु चयन समिति का गठन किया गया है –

1 – जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2 – मण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	उपाध्यक्ष
3 – निगम मुख्यालय द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
4 – लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5 – जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6 – अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)	सदस्य
7 – जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (पदेन जिला प्रबन्धक)	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी द्वारा नियमों/दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को स्वतः रोजगार हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है:-

1- प्रबन्ध निदेशक	1
2- वित्त नियंत्रक	1
3- परियोजना प्रबन्धक	रिक्त
4- कम्पनी सचिव	1 (अंशकालिक)
5- अनुभाग प्रभारी	रिक्त
6- लेखा परीक्षक	रिक्त
7- सहायक लेखाकार	1
8- वरिष्ठ लिपिक	1
9- कम्प्यूटर प्रोग्रामर-कम-आपरेटर	1
10-आशुलिपिक	2
11-कनिष्ठ लिपिक	रिक्त
12-वाहन चालक	2
13-चपरासी	4
14-चौकीदार	3
15-स्वीपर (अंशकालिक)	1
योग:	18

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों में कार्मिकों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है, जिसमें मूलवेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता व चिकित्सा भत्ता सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को वर्ष में एक बार शासनादेश के अनुसार एक्सग्रेसिया तथा मानदेय स्वीकृत किया जाता है।

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 से संबंधित नहीं।

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में सब्सिडी(अनुदान) की कोई सुविधा नहीं है।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसपर छूट प्रदान की जाए।

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यकलापों आदि से संबंधित विवरण निगम की वेवसाइट पर लोड करा दी गयी है।

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचक कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है,

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रतिवर्ष नागरिक चार्टर का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण भी सम्मिलित होता है। उक्त नागरिक चार्टर जन सामान्य की सुविधा हेतु निदेशालय/निगम/मण्डल/जिला कार्यालयों में देखने हेतु उपलब्ध रहती है। निगम में अभी कोई पुस्तकालय स्थापित नहीं है, जिसका प्रयोग जन सामान्य द्वारा अध्ययन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा सके।

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टयां

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के अन्तर्गत श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त नियंत्रक को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है, जिनका कार्यालय, दूरभाष सं0 2635327 है तथा जिले स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है।